न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 104/2025

1. अमर लाल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. अमिता पत्नी अमर लाल जाति बिश्नोई निवासी रोहिड़ांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. प्रदूमन पुत्र श्री रणवीर जाति बिश्नोई निवासी रोहिडांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान बजरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मोहन लाल माहर	प्रार्थीगण
2. श्री खुशपिन्द्र सिंह	अप्रार्थी संख्या 1
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 04.07.2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम वाके चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 2/23 के मुरब्बा नम्बर 13 में 3.215 हैक्टेयर, खाता संख्या 43 में 0.169 हैक्टेयर तथा इसी चक के खाता संख्या 57/53 के गुरब्बा नम्बर 7 में 2.0370 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में खातेदारी दर्ज है जिसे आगे प्रश्नगत कृषि भूमि उल्लेखित किया जायेगा। प्रार्थीगण ने उन्नत कृषि हेतु प्रश्नगत कृषि भूमि के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 5, 6 में डिग्गी का निर्माण कर रखा है जिससे वह अपने बाग में सिंचाई करता है। चूंकि प्रार्थीगण के मुरब्बा नम्बर 7 में भी कृषि भूमि है जिसमें बाग के लिए सिंचाई सुविधा हेतु भूमिगत पाईप लाईन की अत्याधिक आवश्यक है। चूंकि प्रार्थीगण एक अग्रणी श्रेणी के काश्तकार है जो भविष्य में उन्नत किस्म की कृषि कार्य करना चाहते हैं। इस हेतुक अप्रार्थी संख्या 1 खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 12 के 5.088 हैक्टेयर कृषि भूमि के किला नम्बर 23 में व खाला के चिपते भूमिगत पाईप लाईन डालना चाहा है जिसके लिए प्रार्थीगण नियमानुसार समस्त शर्तो को वहन करने के लिए तत्पर है। प्रार्थीगण एवम् अप्रार्थीगण चिपते काश्तकार है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी को सहमति के आधार पर भूमिगत पाईप डालने का दिनांक 10.06.2025 को अनुरोध किया, तो वे इन्कार हो गये, यही वाद कारण है। अप्रार्थी संख्या 2 भू–धारक होने के कारण औपचारिक पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र श्रीमान् जी के सुनवाई योग्य, क्षेत्राधिकार एवं उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

कृषि भूमि में सिंचाई हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3 में भूमिगत पाईप लाईन डालने की अनुमति दी जावे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इकबालिया जवाब पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण द्वारा चाही गई भूमिगत पाईप लाईन मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3 में डालने की अनुमति दी जाती है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रार्थीगण को अपने रकबा में सिंचाई हेतु मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3 में भूमिगत पाईप लाईन डालने स्वीकृति प्रदान की जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा पाइपलाइन स्वीकृत किये जाने बाबत सहमति जाहिर की गई। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए आर.टी.ए. आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 पी बड़ी के खाता संख्या 36/25 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 1, 2, 3 में भूमिगत पाईप लाईन की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :–

1. प्रार्थी 8.25 फुट(1 बिस्वा) चौड़ाई की भूमि का जहां तक लाइन बिछाई जानी है की लम्बाई की नपाई कर कुल क्षेत्रफल का डी.एल.सी. का 10 प्रतिशत के हिसाब से तहसील श्रीगंगानगर में एक माह के भीतर पैसे जमा करावे। प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में पैसे जमा नहीं करवाये जाने पर स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जावेगी। तहसीलदार श्रीगंगानगर उक्त जमा राशि को प्रभावित पक्षकार को अपने स्तर पर वितरित करे।
2. पाईप लाईन में किसी प्रकार की खराबी होनें के कारण प्रार्थी द्वारा ही उसकी मरम्मत की जावेगी मरम्मत के दौरान किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो इस बात का विशेष ध्यान रखा जावेगा। यदि पाईप लाईन की मरम्मत के दौरान किसी भी प्रकार का नुकसान होता है तो प्रार्थी द्वारा अपनें खर्चे पर उक्त नुकसान की भरपाई एवं पाइपलाइन की मरम्मत करवाई जावेगी।
3. राज्य सरकार की योजना के अनुसार यदि पाईप लाईन उखाड़ने हेतु प्रार्थी को निर्देशित किया जावेगा तो प्रार्थी को अपने खर्चे से पाईप लाईन उखाड़नी होगी। यदि प्रार्थी द्वारा पाईप लाईन नहीं उखाड़ी जाती है, तो विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के पाईप लाईन को उखाड़ दिया जावेगा जिसके समस्त खर्चे का भुगतान प्रार्थी से वसूल किया जावेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 04.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner